न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 388/2018

वादी :– मोडसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह, जाति राजपुत, निवासी ओलादन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दीपकसिंह दतक पुत्र श्री नारायणसिंह, जाति राजपुत, निवासी ओलादन
2. गोगा कंवर पुत्री श्री गुलाबसिंह पत्नी श्री भैरूसिंह, जाति राजपुत, निवासी ओलादन, हाल निवासी झिपासनी, जिला जोधपुर
3. साउकंवर पुत्री श्री गुलाबसिंह पत्नी भगवानसिंह, जाति राजपुत, निवासी ओलादन, हाल निवासी झिपासनी, जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार, मेड़ता।
5. पटवारी हल्का, ओलादन।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :–24.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जाति से हिन्दू है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सिजरा खानदान अर्जीदावा के पैरा संख्या 1 में वर्णितानुसार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता गुलाबसिंह थे व गुलाबसिंह के ही रिश्तेदार में भाई नारायणसिंह थे, नारायणसिंह के कोई जायन्दा संतान पैदा नही हुई, इसलिये

Scanned by CamScanner

नारायणसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 को गोद ले लिया व प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा माता–पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 को गोद दे दिया, तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 नारायणसिंह जी का गोद पुत्र हो गया व एक जायन्दा पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो गये। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता श्री गुलाबसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को श्री नारायणसिंह जी को गोद देने के बाद एक पुत्र की भांति सभी अधिकार प्राप्त हो गये व अपने जायन्दा माता–पिता से नाता टुट गया व अपने जायन्दा माता–पिता की चल–अचल सम्पति में से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा अधिकार नही रहा व कानूनन भी गोद जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 स्व. नारायणसिंह का जायन्दा पुत्र हो गया व नारायणसिंह की सम्पूर्ण सम्पति का वारिस हो गया व गोद जाने के दिन से ही जायन्दा माता–पिता से रिश्ता नाता टुट गया व सदा–सदा के लिये नारायणसिंह का पुत्र हो गया। इस बात की पुष्टि इस बात से ही होती है कि ग्राम ओलादन के खेत खसरा नम्बर 796 रकबा 3.28 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर गोदपुत्र दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने नारायणसिंह जी की चल व अचल सम्पति प्राप्त कर ली व उसके जायन्दा पिता गुलाबसिंह की सम्पति में हक, हिस्सा अधिकार नही रहा। ग्राम ओलादन की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 797 रकबा 3.31 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जायन्दा पिता गुलाबसिंह जी के नाम दर्ज है, गुलाबसिंह जी का देहान्त हो चुका है। जिससे पीछे विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है, को शादी, विवाह में रकम व गहने देने पर उन्होने अपना हिस्सा तर्क कर

Scanned by CamScanner

दिया है, इस प्रकार अब इनका इस खातेदारी में हक हिस्सा अधिकार नही रहा है, जिससे उक्त खसरा नम्बर 797 रकबा 3.31 हैक्टेयर वादी के अकेले की खातेदारी की कब्जा व काश्त की है। अब गुलाबसिंह जी का देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह जी की सम्पति में भी हक लेना चाहता है, जबकि उसे ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने नारायणसिंह जी की सम्पति जरिये गोदपुत्र के प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह जी का अब पुत्र न होते हुए भी उसकी सम्पति में नाम दर्ज करवाना चाहता है व अन्य प्रतिवादीगण भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाजायज सहयोग कर वादी को खातेदारी से बेदखल करने पर आमादा है व प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गुट बनाकर विवादित खसरान की जमीन को खुर्द–बुर्द व बेचान करने पर तुले हुए है जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी का ही काश्त व कब्जा है, पूर्व में वादी ने उक्त आराजी पर के.सी.सी. ऋण भी अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से लिया था व अब नो–ड्यूज भी वादी ने ही प्राप्त किया है व रकम भी वादी ने ही प्राप्त की है व वादी के नाम खातेदारी दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने के कारण उक्त सम्पूर्ण आराजी का बेचान, बख्सीस व रहन किसी अन्य के पक्ष में करने पर तुले हुए है व वादी के पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई बंट नही देना चाहते है व प्रतिवादी संख्या 1 को नाजायज रूप से खातेदारी में नाम दर्ज करवाकर उसे खातेदारी अधिकार देना चाहते है व सरपंच भी वारिस प्रमाण पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 का

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज कर उसे नाजायज लाभ पहुंचाना चाहता है यदि ऐसा हो गया तो वादी अपने अधिकारों से महरूम हो जायेगा व प्रतिवादी संख्या 1 दोहरा लाभ प्राप्त कर लेगा जबकि उसे ऐसा करने को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है व वादी ने अपने पिता के सभी सामाजिक कार्यक्रमों का खर्चा भी वहन किया है व प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का कोई खर्चा आदि वहन नही किया है। जिससे उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है, जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है वह वादी के कब्जा, काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। प्रतिवादी संख्या 1 अपने गोद पिता व जायन्दा पिता दोनों की सम्पति में अधिकार प्राप्त करना चाहता है जबकि कानूनन ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नही होता है व दोहरा लाभ प्रतिवादी संख्या 1 प्राप्त नही कर सकता। जिससे उक्त खसरा की जमीन वादी की काश्त व कब्जा की घोषित की जावें व राजस्व रेकर्ड में अकेले वादी के नाम दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी को उक्त खसरान में काश्त नही करने दे रहे है व जबरदस्ती बेदखल करने पर तुले हुए है, जिससे प्रतिवादीगण को रोका जाना बहुत ही आवश्यक है व विवादित खसरान की जमीन को बेचान, हस्तान्तरण, रहन रखने व खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में नही की जा सकेगी व वादी के अधिकारी पर भारी कुठाराघात होगा व वादी को रहने, काश्त करने आदि के लिये किसी प्रकार की सम्पति नही रहेगी।

Scanned by CamScanner

जिससे वादी स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार की पाने का अधिकारी है कि विवाद खसरा की जमीन में वादी के बंट की काश्त व कब्जे में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावें तथा वादग्रस्त खसरा की जमीन का बैचान व हस्तान्तरण न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावें। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 14 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा ओलादन की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 112, 248, सेन्ट्रल बैंक का रहन मुक्ति का प्रमाण पत्र, बैंक जमा रसीद की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री बलराम बेड़ा ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन तारीख पेशी 14.08.2018 को तामील सुदा प्राप्त, आवाज लगायी गई अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है, प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जो स्वीकार किया गया।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1, नारायणसिंह के गोद गया हुआ है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत मौजा ग्राम ओलादन की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 248 से होती है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

Scanned by CamScanner

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6. मौजा ओलादन के खसरा नम्बर 797 रकबा 3.31 हैक्टेयर भूमि वादी के बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी के पक्ष में अपना हक तर्क किया है, अतः हक तर्क की स्टाम्प ड्यूटी तथा बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner